भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 67
दिनांक 07.12.2022/16 अग्रहायण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

देश में प्रतिबंधित संगठन

67. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों से देश में किसी भी प्रकार के आतंकवाद से जुड़े प्रतिबंधित संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कोई राज्य आतंकवादी गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या उन संगठनों को धार्मिक समूहों से समर्थन मिल रहा है;
(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे समूहों को अलग-थलग करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और
(च) देश में आतंकवादी गतिविधियों के लिए वित्तपोषण पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): **2019 से विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत दो संगठनों को 'आतंकवादी संगठन' घोषित किया गया है**:

तहरीक-उल-मुजाहिदीन (टीयूएम) और इसके सभी रूप, जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश या जमात-उल-मुजाहिदीन भारत या जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान और इसके सभी रूप ।

इसके अतिरिक्त देश के भीतरी भाग तथा जम्मू-कश्मीर आधारित सात संगठनों यथा- स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया (सिमी), लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (एल. टी. टी. ई.), इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आई. आर.एफ़), जमात-इ-इस्लामी- जम्मू एन्ड कश्मीर (जे. ई.आई), जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (या), सिख फॉर जस्टिस (एस . एफ.जे) और पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (पी.एफ. आई) को विभिन्न विधि-विरुद्ध/आतंक-सम्बन्धी क्रियाकलापों में लिप्त होने के कारण विधि-विरुद्ध संगम भी घोषित किया गया है |

भारत में आतंकवाद की समस्या बहुत हद तक सीमा पार से प्रायोजित है। वैश्विक आतंकवादी समूह और भारत के प्रति शत्रुता रखने वाली कुछ विदेशी एजेंसियां धर्म के नाम पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म, इंटरनेट इत्यादि का दुरूपयोग कर, लोगों को कट्टर बनाने तथा आतंकवाद के प्रति लुभाने का प्रयास कर रहे हैं ।

सरकार की आतंकवाद से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। केंद्र और राज्यों में खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच घनिष्ठ और प्रभावी समन्वय मौजूद है| मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) को मजबूत और पुनर्गठित किया गया है ताकि यह खुफिया एजेंसियों और राज्यों के बीच तत्क्षण खुफिया सूचनाओं को एकत्रित करने और साझा करने के लिए 24X7 आधार पर कार्य करने में सक्षम हो सके। राज्यों ने आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए विशेष बल गठित किए हैं और ऐसी घटनाओं से निपटने में राज्यों की सहायता के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की इकाइयां भी तैनात की गयी हैं ।

एजेंसियां संवेदनशील क्षेत्रों में मौजूद तत्वों सहित सभी तत्वों तथा समाज के एक विशेष-वर्ग को कट्टर बनाने में सम्मिलित संगठनों, जिनकी गतिविधियों का कानून-व्यवस्था और देश की आंतरिक सुरक्षा पर असर पड़ता है, पर निरंतर नज़र बनाये रखती हैं।

(च) : आतंकी वित्तपोषण के खतरे को रोकने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, नकली भारतीय करेंसी नोटों के उत्पादन या तस्करी या प्रचलन को एक आतंकवादी कृत्य के रूप में अपराध घोषित करके और 'आतंकवाद से अर्जित आय' की परिभाषा को व्यापक बना कर इसके दायरे में आतंकवाद के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी संपत्ति को सम्मिलित कर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 को सशक्त बनाया गया है । इसके अतिरिक्त, आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम हेतु उचित समन्वय के लिए गृह मंत्रालय में एक काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सेल (सीएफ़टी सेल) का गठन किया गया है। आतंकी वित्तपोषण और भारतीय मुद्रा नोटों के मामलों की केंद्रित जांच करने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में एक टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल (टीएफ़ एफ़सी सेल) का भी गठन किया गया है।

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साझे मंच पर लाने और आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध सर्वसम्मति निर्मित करने के लिए, भारत द्वारा नई दिल्ली में तीसरे 'नो मनी फॉर टेरर' (एनएमएफ़टी) मंत्रिस्तरीय सम्मलेन का आयोजन किया गया।
